संख्या-48/2018/1043/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 17 दिसम्बर, 2018**

विषय:- केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, बहराइच को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018-19/588, दिनांक 11-12-2018, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु अब तक निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-2/2017/31/71-1-2017-जी-227/2016, दिनॉक 04-01-2017	775.00
2	संख्या-5/2018/4014/71-1-2017-जी-227/2016, दिनॉक 15-01-2017	3300.00
3	संख्या-32/2018/48/71-3-2018-जी-227/2016, दिनॉक 08-03-2018	2033.00
4	संख्या-03/2018/110/71-3-2018-जी-227/2016, दिनांक 24-03-2018	4500.00
	योग	10608.00

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला चिकित्सालय, बहराइच को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

प्रायोजना का नाम/जनपद	मूल स्वीकृति का शासनादेश	लागत	अब तक कुल आवंटन	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त आवंटन
मेडिकल कालेज, बहराइच	संख्या-2/2017/31/71-1-2017-जी-227/2016, दिनॉक 04-01-2017	18916.66	10608.00	1150.00

1. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **मूल स्वीकृति के शासनादेश संख्या-2/2017/31/71-1-2017-जी-227/2016, दिनॉक 04-01-2017 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष **2018-19** के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**31** के अधीन लेखाशीर्षक **"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018,** दिनॉक **30** मार्च, **2018** में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-48/2018/1043(1)/71-3-2018 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
3. **वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
5. **अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।**
6. **प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बहराइच।**
7. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।**
8. **नियोजन-अनुभाग-4**
9. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**